अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0— 181 सन् 1989

नंदकिशोर साह व अन्य..................वादीगण

बनाम

कमला देवी व अन्य..............प्रतिवादीगण।

दिनांक— 22.02.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 20.10.2020 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 2(घ) नीरू कुमारी, पति विरेन्द्र की मृत्यु दिनांक 25.03.2020 को हो गई। जिसकी सूचना प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 25.08.2020 को दी गई। प्रतिवादी सं0 2(घ) नीरू कुमारी के वारिसानों का उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। नीरू कुमारी अपने पीछे अपने पति विरेन्द्र कुमार एवं पुत्र गोकुल कुमार एवं पुत्री जया कुमारी को छोड़कर स्वर्गवास कर गई। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी नीरू कुमारी का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 20.10.2020 को एक आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी नीरू कुमारी के वारिसानों का नाम दाखिल किया गया है। उभय पक्षों की विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 2(घ) के रूप में नीरू कुमारी को प्रतिवादी ओम प्रकाश साह के मृत्यु के पश्चात् प्रतिस्थापित किया गया था। प्रस्तुत प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से प्रतिवादी नीरू कुमारी की मृत्यु तिथि 25.03.2020 के पश्चात् दिनांक 20.10.2020 को विलंब से दाखिल किया गया। परंतु वादी का प्रतिस्थापना आवेदन में कथन है कि उनके प्रतिवादी

नीरू कुमारी की मृत्यु की सूचना प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 25.08.2020 को दी गई। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में 500/—रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी प्रतिवादी सं0 2(घ) नीरू कुमारी का नाम वादपत्र से कलमजद कर आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करे।

वाद दिनांक 08.03.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।